

प्रमाणित  
अभियान

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-भू.अ./2023/06

दिनांक:-24/04/2023


प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री भूरी पिता पुजी चुन्नीचाल प.ह. सोनगर के राजस्व ग्राम दुवावा में जमाबन्दी संवत् 2079 की खाता संख्या 46 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम भूरी किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम भूरी का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

  
तहसीलदार चित्तौडगढ  
भू.अ.  
चिसी, जिला-चित्तौडगढ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2018/18  
2023

दिनांक:-25/04/2023

निमित्त,

पटवार हल्का सोनगर


विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री भूरी पिता पुजी चुन्नीचाल राजस्व ग्राम दुवावा प.ह. सोनगर की खाता संख्या 40 में जाति/नाम भूरी दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री भूरी पिता पुजी चुन्नीचाल जाति/नाम भूरी एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। प.ह. सोनगर राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

  
प्रतिरिक्ति:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ